बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6 / एन0–08–158 / 2018–......... / पटना–15, दिनांक–....................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–941(6), दिनांक–28.09.2018 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(ii) के आलोक में रामचन्द्र प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट, काशी बाजार, छपरा (सारण) द्वारा प्रस्तावित के0आर0 ए0एन0एम0 इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, काशी बाजार, छपरा (सारण) के नाम से ए0एन0एम0 स्कूल की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 – विभागीय आदेश ज्ञापांक–1131(6), दिनांक–26.10.2018 द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ0 एस0के0 अमन, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 – **विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त** के0आर0 ए0एन0एम0 इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, काशी बाजार, छपरा (सारण) **को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में ए0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठयक्रम में 50 (पचास) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तो पर मान्यता प्रदान की जाती है :–**

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, सारण समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी। सत्र का निर्धारण बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा किया जायेगा तथा सत्र निर्धारण के उपरान्त ही संस्थान छात्र / छात्राओं का नामांकन प्रारंभ करेंगे।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, छपरा (ii) सिविल सर्जन, सारण तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(डॉ0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner

361

ज्ञापांक : 6/एन0–08–158/2018 ~~360~~(6) पटना दिनांक 09/03/19

प्रतिलिपिः– सचिव, के0आर0 ए0एन0एम0 इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, काशी बाजार, छपरा (सारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, छपरा/सिविल सर्जन, सारण/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/3/19

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)
बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)
फोन नंबरः 0612-2215001 ईमेल आई.डी.: registar.bnrc@gmail.com

पत्रांक..357...../बी.एन.आर.सी. दिनांक..09./..03../2019

सेवा में,

सचिव,
के0आर0 ए0एन0एम0 इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग,
काशी बाजार, छपरा (सारण)

विषय :– शैक्षणिक वर्ष 2018–19 के लिए आर0ए0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना आदेश ज्ञापांक 361(6), दिनांक 09.03.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना आदेश ज्ञापांक 361(6), दिनांक 09.03.2019 द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को आर0ए0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 50 (पचास) सीटों पर एक सत्र लिए मान्यता प्रदान की गई है।

अतः उक्त आदेश एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत मार्ग–दर्शिका संख्या **F. No. : 1-6/2018-INC** , दिनांक 20.04.2018 के आधार पर आपके प्रशिक्षण संस्थान, के0आर0 ए0एन0एम0 इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, काशी बाजार, छपरा (सारण) को आर0ए0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 50 (पचास) सीटों पर शैक्षणिक वर्ष 2018–19 के लिए इस शर्त्त पर मान्यता प्रदान की जाती है कि आर0ए0एन0एम0 सत्र, 2018–20 के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के पूर्व आपके संस्थान में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सैद्धान्तिक (Theory) विषयों में विषय–वार उपस्थिति न्यूनतम् 75 प्रतिशत, क्लीनिकल (Clinical) विषयों में विषय–वार उपस्थिति 100 प्रतिशत एवं 11 माह का पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

09/03/19

निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना।

Scanned with CamScanner

बिहार परिचारिका निब-धक परिषद, पटना।
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संचिका संख्या–513/BNRC/2020-...786 स्वा०, पटना दिनांक-29/07/2020

राम चन्द्र प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट, काशी बाजार, छपरा (सारण) द्वारा संचालित **के० आर० ए०एन०एम० इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, काशी बाजार, छपरा (सारण) बिहार** के अन्तर्गत **ए०एन०एम०** पाठ्यक्रम के संचालन हेतु **शैक्षणिक** वर्ष 2019–2020 के लिए सरकार के पत्रांक–1338(6) दिनांक–25.10.2019 के द्वारा नामांकन की अनुमति BCECE बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर दी जा चुकी है। वर्त्तमान में कोविड–19 के प्रक्रोप को देखते हुए जाँच टीम गठन करना संभव नहीं है क्योंकि वर्त्तमान में सारे प्रशिक्षण संस्थान बंद होने के कारण मानव एवं भौतिक संसाधनों का भौतिक सत्यापन करना संभव प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जाँच टीम का गठन का कोई भी औचित्य नहीं है। अतः कार्य हित में छात्रों के पठन पाठन की अनुमति दी जाती है। उपरोक्त परिस्थिति में वर्त्तमान में कार्यरत निजी नर्सिंग संस्थानों के स्थिति सामन्य होने तक उपरोक्त संस्थान को पूर्व में निर्धारित सीटो के आलोक में सत्र 2019–2020 के लिए अनुमति दी जाती है। भविष्य में सरकार द्वारा ली गई किसी भी निर्णय से उपरोक्त आदेश फलिभूत माना जायेगा।

ह०/–
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 786/BNRC पटना, दिनांक 29/07/2020

प्रतिलिपि :–सचिव, के० आर० ए०एन०एम० इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, काशी बाजार, छपरा (सारण) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सचिव, भारतीय उपचार्य परिषद, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/20

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।

Scanned with CamScanner

बिहार परिचारिका निबन्धक परिषद, पटना।

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–516/BNRC/2020-..785.... स्वा०, पटना दिनांक–29/07/2020

रामचन्द्र प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट, काशी बाजार, छपरा (सारण) द्वारा प्रस्तावित के० आर० **ए०एन०एम० इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, काशी बाजार, छपरा (सारण) बिहार** के अन्तर्गत **ए०एन०एम०** पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षणिक वर्ष 2020–2021 के लिए सरकार के पत्रांक–356(01) दिनांक–13.03.2020 एवं पत्रांक–362(1) दिनांक–14.03.2020 के द्वारा नामांकन की अनुमति BCECE बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर दी जा चुकी है। वर्त्तमान में कोविड–19 के प्रक्रोप को देखते हुए जाँच टीम गठन करना संभव नहीं है क्योंकि वर्त्तमान में सारे प्रशिक्षण संस्थान बंद होने के कारण मानव एवं भौतिक संसाधनों का भौतिक सत्यापन करना संभव प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जाँच टीम का गठन का कोई भी औचित्य नहीं है। अतः कार्य हित में छात्रों के पठन पाठन एवं नामांकन की अनुमति दी जाती है। उपरोक्त परिस्थिति में वर्त्तमान में कार्यरत निजी नर्सिंग संस्थानों के स्थिति समान्य होने तक उपरोक्त संस्थान को पूर्व के सत्र में निर्धारित सीटो के आलोक में सत्र 2020–2021 के लिए अनुमति दी जाती है। भविष्य में सरकार द्वारा ली गई किसी भी निर्णय से उपरोक्त आदेश फलिभूत माना जायेगा।

ह०/–

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 785/BNRC/2020

पटना, दिनांक–29/07/2020

प्रतिलिपि :–सचिव, के० आर० ए०एन०एम० इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, काशी बाजार, छपरा (सारण) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निबंधक, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सचिव, भारतीय उपचार्य परिषद, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/20

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।

Scanned with CamScanner